न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –5/2022
GCMS No. –2022/190

1. श्री इन्द्रमल धाकड पुत्र श्री हीरालाल जी जाति घाकड आयु 54 वर्ष निवासी बडावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.....वादी

बनाम

1. श्री दुर्गा शंकर पिता श्री जगन्नाथ जी शर्मा, जाति ब्राहम्मण आयु 45 वर्ष निवासी बडावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

...प्रतिवादी

वाद तहत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपरिथतः– 1– श्री मदनलाल चपलोत – अधिवक्ता वादी
2– प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय :: दिनांक :– 07.01.2025

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि ग्राम बडावली प०ह० बडावली तह० निम्बाहेडा की खाता सं० नया 138 की आ0नं0 251/1415 रकबा 0.8200 हेक्टेयर, चाही–2 लगानी 20. 91 रूपये कुल किता 1 कुल रकबा 0.8200 हेक्टेयर कुल लगानी 20.91 रूपये स्थित वाके है, जो वर्तमान मे प्रतिवादी दुर्गा शंकर के खातेदारी में दर्ज है। जिसे वाद पत्र में आगे चल कर वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बंधीत किया गया है। इसी प्रकार खाता संख्या 12 की आ0नं0 267/1419 रकबा 0.1100 हेक्टेयर लगानी 2.81 रूपये, आ0नं0 270/1420 रकबा 0.3900 हेक्टेयर लगानी 7.41 रूपये, मोजा बडावली प०ह० बडावली तह० निम्बाहेडा स्थित है। जो वादी के नाम खातेदारी में दर्ज है।

2. उपरोक्त वादग्रस्त आराजी जिसके खाता संख्या 138 है वादी को प्रतिवादी से रजिस्टर्ड विनिमय पत्र दिनांक 23.07.2021 के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिस पर वादी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, तथा विनिमय पत्र में उक्त वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 138 की एवज में वादी ने अपने खातेदारी की आराजी जिसके खाता संख्या 12 की आ०नं० 267/1419 रकबा 0.1100 हेक्टेयर लगानी 2.81 रूपये, आ०नं० 270/1420 रकबा 0.3900 हेक्टेयर लगानी 7.41 रूपये, मोजा बडावली प०ह० बडावली तह० निम्बाहेडा स्थित है को प्रतिवादी को विनिमय में दिया है, जिसका पंजिकृत विनिमय पत्र वादी व प्रतिवादी द्वारा दिनांक 23.07. 2021 को एक दुसरे के पक्ष में निष्पादीत किया गया है, जिसकी फोटो[illegible] संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:33:26 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

3. वादी ने कई बार प्रतिवादी को [illegible] की पालना अनुसार प्रतिवादी की खाता संख्या 138 की आराजी को वादी के नाम खातेदारी में [illegible]कराने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी हर बार टाल चाल करता [illegible]ा आ रहा है और [illegible]वादी की नियत

में दियान्ती आने से वह उसकी खाता संख्या 138 की आराजी को वादी के खातेदारी में दर्ज नही कराना चाहता है जब कि विनिमय पत्र अनुसार वादी प्रतिवादी की खाता संख्या 138 की आराजी पर ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रतिवादी भी वादी की खातेदारी की आराजी सं० 12 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इसलिये वादी रजिस्टर्ड विनिमय पत्र अनुसार व कब्जे अनुसार प्रतिवादी की खाता संख्या 138 की आरजी को अपने नाम खातेदारी में घोषित कराने का अधिकारी है। तथा वादी स्वयं की खातेदारी की आराजी जो खाता संख्या 12 की है को प्रतिवादी के नाम खातेदारी में दर्ज कराने को तैयार है।

4. वादी ने अभी दिनांक 15.11.2021 को प्रतिवादी से विनिमय पत्र की शर्त अनुसार प्रवादी की खातेदारी की आराजी जिसके आ०नं० 251/1415 है को वादी के नाम खातेदारी में दर्ज कराने हेतु कहा तो टाल चाल करने लगा व वादी के नाम खातेदारी में दर्ज कराने से साफ इंकार कर दिया जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर निरंतर जारी है।

5. वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की और से जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया।

6. दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने प्रदर्श 1,2 जमाबंदी की नकल , प्रदर्शः 3ए विनीमय पत्र के दस्तावेज पेश किए। साक्ष्य वादीगण में पीडब्लू 1 इन्द्रमल धाकड के बयान कराये।

5. वकील वादी की बहस सुनी गई। वादी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने प्रदर्श 1,2 जमाबंदी की नकल , प्रदर्शः 3ए विनीमय पत्र के दस्तावेज पेश किए । वादी की प्रस्तुत साक्ष्य में मौजा बडावली पटवार हल्का बडावली के आराजी नम्बर 251/1415 हैक्टेयर भूमि में से 0.82 हैक्टेयर भूमि में से 0.6500 हैक्टेयर भूमि वादी द्वारा विनिमय की गई है।इसी प्रकार मौजा मौजा बडावली पटवार हल्का बडावली के आराजी नम्बर 267/1419 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 270/1420 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादीगण द्वारा विस्वा आराजियात वादीगण द्वारा क्रय होना साबित होता है। वादी का का वाद डिक्री योग्य है।

घोषणा है कि

वादी का वाद अन्तर्गत धारा–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वादग्रस्त आराजियात मौजा बडावली पटवार हल्का बडावली के आराजी नम्बर 251/1415 हैक्टेयर भूमि में से 0.82 हैक्टेयर भूमि में से 0.6500 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम खातेदारी घोषणा की जाती है एवं शेष रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नम्बर के नाम बदस्तुर रहेगा तथा मौजा बडावली पटवार हल्का बडावली के आराजी नम्बर 267/1419 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 270/1420 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी के नाम खातेदारी घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार निम्बाहेड़ां अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिकी पर्चा पृथक से बनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 07.01.2025 को लिखकर खुले न्यायालय में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:33:26 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेडा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर,निम्बाहेड़ा
इन्द्रमल बनाम दुर्गा शंकर
प्रकरण संख्या - 05/2022 वाद
GCMS No. – 2022 / 190

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या –5 / 2022
GCMS No. –2022 / 190

1. श्री इन्द्रमल धाकड पुत्र श्री हीरालाल जी जाति घाकड आयु 54 वर्ष निवासी बडावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

.....वादी

बनाम

1. श्री दुर्गा शंकर पिता श्री जगन्नाथ जी शर्मा, जाति ब्राहम्मण आयु 45 वर्ष निवासी बडावली तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०

...प्रतिवादी

वाद तहत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

:: निर्णय :: दिनांक :– 07.01.2025

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री मदनलाल चपलोत की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेश दिया जाता है की वादग्रस्त आराजियात मौजा बडावली पटवार हल्का बडावली के आराजी नम्बर 251 / 1415 हैक्टेयर भूमि में से 0.82 हैक्टेयर भूमि में से 0.6500 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम खातेदारी घोषणा की जाती है एवं शेष रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी नम्बर के नाम बदस्तुर रहेगा तथा मौजा बडावली पटवार हल्का बडावली के आराजी नम्बर 267 / 1419 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 270 / 1420 रकबा 0.3900 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी के नाम खातेदारी घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में तहसीलदार निम्बाहेड़ां अमल दरामद करें। बैंक रहन होने पर यथावत रखा जावें। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया गया।

यह आज दिनांक 07.01.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज))

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2025.01.29 14:33:26 IST
Reason: SelfAttested